

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्र

सं. मुकदमा

२६/११/२०

विपक्षी

२६/११/२०

५८

पत्रावली संख्या

सन्

२०१९

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

१५/१५/२०
पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-०३/०३/२२ को
पेश हों।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) मावली

०७/०१/२०

वकूलासि वादी/प्रतिवादी उप./ २२/१५

के लिये मौका चाहते हैं। अतः २२/१५

भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक १५/६/२०

को पेश हो।

SDO मावली

१५/६/२२

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रुग्ण/उपरिथत/पीठासीन
अधिकारी मन्ने आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक १३/९/२२ को पेश हो।

१३/९/२२

वकूलासि वादी/प्रतिवादी उप./ १५/११/२०

के लिये मौका चाहते हैं। अतः १५/११/२०

भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक १३/११/२२

को पेश हो।

SDO मावली



15/11/22
 प्रस्ताव वादी/प्रतिवादी उप./ जवाब
 के लिये नौका च हल है। अतः शं. रिज.
 अक्षर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/01/23
 को पेश हो।
 300 मावली

16/1/23
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी
 उप. अधिवक्ता मय उद्दिवादीगण अउ.
 है। पत्रावली वाक्ये जवाब दिगंत
 2/2/23 को पेश हो।

02/02/23
 प्रस्ताव वादी/प्रतिवादी उप./ जवाब
 के लिये नौका च हल है। अतः शं. रिज.
 अक्षर दिया जाकर पत्रावली दि. 03/04/23
 को पेश हो।
 300 मावली

3/4/23
 पत्रावली पेश हुई। कपील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपदी/रिस्पों उपस्थित/भौतसीन
 उद्दिवादी मले. आज अक्षर/अक्षर/मिडिंग प्रतीक/अक्षर/अक्षर
 नै-स्यारें हो पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दिनांक 4/04/23 को पेश हो।

04/04/23
 प्रस्ताव वादी/प्रतिवादी उप./ जवाब
 के लिये नौका च हल है। अतः शं. रिज.
 अक्षर दिया जाकर पत्रावली दि. 08/06/23
 को पेश हो।
 300 मावली

21/4/23 पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा शा.पत्र ललवी
 मय विद्वो का पेका करने पर ललब की गई। अधिवक्ता वादी
 द्वारा शा.पत्र पेका कर पहलकारन के मध्य लोक अदालत की भावना
 से आपसी शर्तीनामा हो जाने से प्रकरण को इस्वी स्तर पर ड्रोप
 किया जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता
 द्वारा की गई। अतः प्रकरण में वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं
 करने से प्रकरण को आगे थलाये जाने का कोई औचित्य
 नहीं है। अतः प्रकरण को इस्वी स्तर पर ड्रोप किया जाता है।
 पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।
 निर्णय सुनाया गया।

मेकलाल
 प्र.
 प्र.



सहायक कलसट्ट एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (कमलट्ट ट्रेक) मावली